



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 644] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 31, 1984/ पाँच 10, 1906
No. 644] NEW DELHI, MONDAY, DEC. 31, 1984/PAUSA 10, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

भ्रम और पुनर्वास मंत्रालय

(भ्रम विभाग)

अधिस्चना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 1984

का.आ. 982(अ).—केन्द्रीय सरकार के गृह मंत्रालय की अधिस्चना संख्या का.
आ. 529(अ), तारीख 22 जुलाई, 1983 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार 31
दिसम्बर, 1984 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिस तारीख से घातक
दुर्वर्तना अधिनियम, 1855 (1855 का 4) और नियोजक दायित्व अधिनियम, 1938
(1938 का 24) के उपबंध प्रवृत्त होंगे ।

[संख्या एस-61011/2/84-एच. आई.]

अनिल बोधिष्या, अपर सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION

(Department of Labour)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 1984

S.O. 982(E).—In pursuance of the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs S.O. No. 529(E) dated 22nd July, 1983, the Central Government hereby appoints 31st December, 1984 as the date on which the provisions of the Fatal Accident Act, 1855 (4 of 1885) and the Employers' Liability Act, 1938 (24 of 1938) shall come into force.

[No. S-61011|2|84-HI]

ANIL BORDIA, Add. Secy.